

२४<sup>११</sup>/<sub>१७</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में कई बार आवाज लगाये जाये पर भी वकील वादी व वादी उपस्थित नहीं आये। पत्रावली अदम पैरवी, अदम इजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैल शुमार होकर बाद तबलीब, तक्मील दाम्बिल दफ्तर हो।

AM

सहायक कलक्टर  
सीकानेर शहर

